

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4641  
28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पंजाब में मातृत्व स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुँच

**4641. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:**

डॉ. नामदेव किरसान:

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

श्री बैन्नी बेहनन:

डॉ. अमर सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पंजाब और महाराष्ट्र में विशेषकर भंडारा और गोंदिया जिले सहित देश में 'जननी सुरक्षा योजना' और 'लक्ष्य' जैसी मातृत्व स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की राज्य/जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी निधि आवंटित और संवितरित की गई है तथा पंजाब और महाराष्ट्र में विशेषकर भंडारा और गोंदिया जिलों में वर्षवार आवंटित निधि का कितने प्रतिशत का उपयोग किया गया है;

(ग) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पंजाब और महाराष्ट्र में विशेषकर भंडारा और गोंदिया जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यरत 'आशा' कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एवी-पीएमजे एवाई) के अंतर्गत मातृत्व स्वास्थ्य संबंधी अस्पतालों में भर्ती के कितने मामलों को अधिकृत किया गया है और उक्त योजना के अंतर्गत पंजाब तथा महाराष्ट्र, विशेषकर भंडारा और गोंदिया जिलों में निजी अस्पतालों को कुल कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों सहित, विशेष रूप से भंडारा और गोंदिया जिलों में, 2022 से जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और लेबर रूम तथा मैटरनिटी ऑपरेशन थियेटरों के लक्ष्य राष्ट्रीय प्रमाणीकरण के लिए वर्षवार और राज्यवार प्रगति क्रमशः अनुलग्नक I, II और III में दी गई है।

(ख): 2021 से जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत राज्यवार एवं वर्षवार बजटीय अनुमोदन एवं उपयोग और प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थियेटरों का लक्ष्य राष्ट्रीय प्रमाणन अनुलग्नक IV और V में है (डेटा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई और उपलब्ध एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है)।

(ग): नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पंजाब और महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं की संख्या अनुलग्नक VI में है।

(घ): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, विगत तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान पंजाब में मातृ स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं हेतु 56.24 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 51,239 अस्पताल भर्तियों को अधिकृत किया गया है और महाराष्ट्र में 8.10 करोड़ रुपये मूल्य की 5,276 अस्पताल भर्तियों को अधिकृत किया गया है।

इसमें से, विगत तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान इस योजना के तहत पंजाब में पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के लिए 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की 1,292 अस्पताल भर्तियों को अधिकृत किया गया है और महाराष्ट्र राज्य में पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के लिए 5.6 करोड़ रुपये मूल्य की 3,876 अस्पताल भर्तियों को अधिकृत किया गया है।

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान मातृ स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं हेतु 54 लाख रुपये मूल्य की 337 अस्पताल भर्तियां अधिकृत की गई हैं, जिनमें 40.79 लाख रुपये मूल्य की 230 अस्पताल भर्तियां पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में हुई हैं।

महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान एबी पीएम-जेएवाई के तहत मातृ स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं हेतु 20.4 लाख रुपये मूल्य की 115 अस्पताल भर्तियों को अधिकृत किया गया है, जिनमें 17.04 लाख रुपये मूल्य की 98 अस्पताल भर्तियां पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में हुई हैं।

दिनांक 28.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4641 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित  
अनुलग्नक

अनुलग्नक ।

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या				
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या		
		वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25 (अनंतिम)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	232	226	102
2	आंध्र प्रदेश	235028	254588	176959
3	अरुणाचल प्रदेश	13780	17847	11446
4	असम	346174	328013	234206
5	बिहार	1324435	1370438	913564
6	चंडीगढ़	117	203	195
7	छत्तीसगढ़	373699	358625	255299
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3378	2474	1776
9	दिल्ली	2446	3648	3681
10	गोवा	284	372	377
11	गुजरात	205888	225784	74254
12	हरियाणा	35331	31587	26493
13	हिमाचल प्रदेश	10449	8987	8531
14	जम्मू और कश्मीर	106397	63536	89645
15	झारखंड	480148	479039	335826
16	कर्नाटक	287414	402122	238099
17	केरल	110056	49884	44658
18	लद्दाख	3874	3241	1981
19	लक्ष्मीपुर	1343	770	1074
20	मध्य प्रदेश	1085146	1016205	619546
21	महाराष्ट्र	415424	370408	264699
22	मणिपुर	10632	2330	10631
23	मेघालय	20888	18050	12055
24	मिजोरम	11545	13491	3883
25	नागालैंड	9656	11730	10191
26	ओडिशा	447780	421699	289458
27	पुदुचेरी	6692	5290	3762
28	पंजाब	60423	57012	33691
29	राजस्थान	868242	1040390	452623
30	सिक्किम	2565	2800	938
31	तमिलनाडु	386227	307030	283033
32	तेलंगाना	308862	285608	192184
33	त्रिपुरा	16593	16235	10069
34	उत्तर प्रदेश	2421088	2568228	1785714
35	उत्तराखण्ड	73345	78828	49461
36	पश्चिम बंगाल	443647	438261	268189

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या				
क्र. सं.	जिल	लाभार्थियों की संख्या		
		वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
1	भंडारा जिला	7197	5783	4574
2	गोंदिया जिला	9143	11216	8006

स्रोत- महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त इनपुट के अनुसार

दिनांक 28.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4641 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित  
अनुलग्नक

अनुलग्नक ||

लक्ष्य के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार राष्ट्रीय प्रमाणित प्रसव कक्ष				
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25 फरवरी 25 तक
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	6	5	1
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	3
4	असम	10	4	6
5	बिहार	4	5	2
6	चंडीगढ़	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	9	4
8	दिल्ली	0	3	2
9	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	0	0
10	गोवा	1	0	1
11	गुजरात	6	1	3
12	हरियाणा	0	0	5
13	हिमाचल प्रदेश	1	0	3
14	जम्मू और कश्मीर	4	4	3
15	झारखण्ड	0	2	2
16	कर्नाटक	32	53	5
17	केरल	5	0	2
18	लद्दाख	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	37	53	40
21	महाराष्ट्र	4	5	0
22	मणिपुर	0	0	0
23	मेघालय	0	0	1
24	मिजोरम	0	0	5
25	नागालैंड	0	0	0
26	ओडिशा	5	7	2
27	पुदुचेरी	1	0	0
28	पंजाब	0	6	0
29	राजस्थान	16	19	22
30	सिक्किम	0	0	0
31	तमिलनाडु	12	41	34
32	तेलंगाना	8	27	1
33	त्रिपुरा	0	1	1
34	उत्तर प्रदेश	30	13	11
35	उत्तराखण्ड	1	2	2
36	पश्चिम बंगाल	5	13	13
	भारत	189	273	174

महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले में लक्ष्य के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित प्रसव कक्ष

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2024-25 (फरवरी 2025 तक)
1	भंडारा जिला	2
2	गोंदिया जिला	2

दिनांक 28.03.2025 के लोक सभा अंतरांकित प्रश्न संख्या 4641 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्न

अनुलग्न-III

लक्ष्य के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार राष्ट्रीय प्रमाणित मातृत्व ऑपरेशन थियेटर (एमओटी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25 फ़रवरी 25 तक
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	3	7	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2
4	असम	3	2	3
5	बिहार	1	3	1
6	चंडीगढ़	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	8	4
8	दिल्ली	0	2	1
9	दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	0	0
10	गोवा	1	0	1
11	गुजरात	4	1	3
12	हरियाणा	1	0	4
13	हिमाचल प्रदेश	1	0	3
14	जम्मू और कश्मीर	4	3	3
15	झारखण्ड	0	2	1
16	कर्नाटक	32	48	6
17	केरल	5	0	2
18	लद्दाख	0	0	0
19	लक्ष्मीपुर	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	11	4	7
21	महाराष्ट्र	5	6	0
22	मणिपुर	0	0	0
23	मेघालय	1	0	0
24	मिजोरम	1	0	4
25	नागालैंड	0	0	0
26	ओडिशा	1	7	2
27	पुदुचेरी	1	0	0
28	पंजाब	0	7	0
29	राजस्थान	13	6	9
30	सिक्किम	0	0	0
31	तमिलनाडु	12	39	30
32	तेलंगाना	7	18	2
33	त्रिपुरा	1	1	1
34	उत्तर प्रदेश	18	7	8
35	उत्तराखण्ड	0	1	2
36	पश्चिम बंगाल	5	12	13
	भारत	132	184	112

महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले में लक्ष्य के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित मातृत्व ऑपरेशन थियेटर (एमओटी)

क्र. सं.	जिल	2024-25
		फ़रवरी 25 तक
1	भंडारा जिला	2
2	गोंदिया जिला	2

दिनांक 28.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4641 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित

अनुलग्नक

अनुलग्नक IV

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के लिए पंजाब और महाराष्ट्र राज्य के लिए एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	पंजाब	584.00	258.29	1,084.30	806.97	1,084.30	1,084.30
2	महाराष्ट्र	2,050.46	1,937.09	4,254.45	5,105.59	4,254.45	4,660.26

टिप्पणी:

- उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए एफएमआर पर आधारित हैं तथा अनंतिम हैं।
- व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल है। आरसीएच आदि के लिए लचीले पूल के संबंध में व्यय 31.12.2024 तक अद्यतन किया गया है।

भंडारा और गोंदिया जिलों के लिए एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय (लाख रुपये में)

क्र.सं.	ज़िला	2021-22		2022-23		2023-24	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	भंडारा	28.26	42.92	85.01	79.24	51.23	71.69
2	गोंदिया	34	69.22	93.64	128.07	61.39	124.03

स्रोत: महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त इनपुट के अनुसार

दिनांक 28.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4641 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित

अनुलग्नक

अनुलग्नक-V

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों के लिए लक्ष्य कार्यक्रम हेतु एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय  
(लाख रुपये में)**

क्रम सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	पंजाब	47.50	20.23	166.65	5.41	166.65	166.65
2	महाराष्ट्र	63.81	10.79	2,348.44	192.16	924.49	416.77

टिप्पणी:

- उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए एफएमआर पर आधारित हैं तथा अनंतिम हैं।
- व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल है। आरसीएचआदि के लिए लचीले पूल के संबंध में व्यय 31.12.2024 तक अद्यतन किया गया है।

**महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिलों के लिए लक्ष्य कार्यक्रम हेतु एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय (लाख रुपए में)**

क्रम सं.	ज़िला	2022-23		2023-24	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	भंडारा	26.27	21.84	20.79	6.31
2	गोंदिया	13.7	1.2	19.54	6.1

स्रोत: महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त इनपुट के अनुसार

दिनांक 28.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4641 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित

अनुलग्नक

अनुलग्नक VI

एनएचएम के तहत कार्यरत आशा कार्यकर्ता		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सितम्बर 2024 तक की स्थिति के अनुसार
1	पंजाब	19295
2	महाराष्ट्र	76141
स्रोत: एनएचएम-एमआईएस, सितंबर 2024		

\*\*\*\*\*